कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर

''दिनांक 08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में''

दिनांक 08 मार्च, 2025 (द्वितीय शनिवार) को **''नेशनल लोक अदालत''** का आयोजन किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु विविध अपील, चैक अनादरण के प्रकरण, भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू–अर्जन संबंधी प्रकरण, रिट, सिविल प्रकरण तथा कानूनन समझौता योग्य अन्य प्रकरण, जो पूर्व से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, को समझौता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु रखा जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकों को सूचित किया जाता है कि जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के समक्ष लंबित हैं, यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं, तथा साथ ही ऐसे अधिवक्ता एवं पक्षकार, जो अपना प्रकरण स्वेच्छा से वापस लेना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में अथवा कार्यालयीन ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें ताकि कॉजलिस्ट प्रकाशित कराई जा सके। कार्यालय की ई–मेल आई.डी. mphclsc@gmail.com है।

17.1.25

दिनांक 17.01.2025

(श्रीमती अर्चना सिंह)
रजिस्ट्रार/सचिव

कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर

"दिनांक 08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में"

दिनांक 08 मार्च, 2025 (द्वितीय शनिवार) को **"नेशनल लोक अदालत"** का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में फरवरी माह के अंत में मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु विविध अपील एवं अन्य प्रकरणों की प्री–सीटिंग का आयोजन किया जाना है जिससे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकों को सूचित किया जाता है कि जो भी अपने प्रकरण प्री–सीटिंग में लगवाना चाहते है वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में अथवा कार्यालयीन ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें ताकि प्री–सीटिंग कॉजलिस्ट प्रकाशित कराई जा सके। कार्यालय की ई–मेल आई.डी. mphclsc@gmail.com है।

दिनांक 17.01.2025

17.1.25

(श्रीमती अर्चना सिंह)
रजिस्ट्रार / सचिव